

दि कार्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obdullaganj

वर्ष : 7, अंक : 9

(प्रति बुधवार), इन्टोर, 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2021

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

डब्ल्यूएचओ ने बेहतर स्वास्थ्य और जलवायु के लिए दुनिया भर से की 10 सिफारिशें

न्यूयार्क । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि यदि देशों को कोविड-19 महामारी से बचना है और पर्यावरण को बनाए रखना है, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षी वादों को लागू करना होगा। डब्ल्यूएचओ द्वारा यह मुहिम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप 26) की अगुवाई में शुरू की गई है। जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर कार्रवाई करना अति आवश्यक है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह एक ऐसा विषय है जो जलवायु और स्वास्थ्य के बीच कई अविभाज्य संबंध स्थापित करता है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयियस ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण के बीच के गहरे और नाजुक संबंधों को उजागर किया है। वही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी धरती को नष्ट करने पर उतारू हैं, लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं।



उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ सभी देशों से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए कोप 26 पर निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह करना सही है, बल्कि इसलिए कि यह हमारे अपने हित में है। डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट लोगों के स्वास्थ्य और उसे बनाए रखने वाली धरती की सुरक्षा के लिए 10 प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालती है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को एक खुले पत्र के रूप में जारी किया गया है, जिस पर वैश्विक स्वास्थ्य कार्यबल के दो तिहाई से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। दुनिया भर में कम से कम 4.5 करोड़ डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 संगठन, राष्ट्रीय नेताओं और कोप 26 देश के प्रतिनिधिमंडलों से जलवायु में हो रहे बदलाव पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य पेशेवरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि हम दुनिया भर में अपने अस्पतालों, क्लिनिकों और समुदायों में जहाँ भी देखभाल करते हैं, हम पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम कोप 26 में हर देश के नेताओं और उनके प्रतिनिधियों से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करके स्वास्थ्य की तबाही को रोकने और लोगों के स्वास्थ्य और इकित्ती के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और

इसके अनुकूलन कार्यों के लिए केंद्रीकृत करने का आह्वान करते हैं। रिपोर्ट और खुला पत्र अभूतपूर्व चरम मौसम की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। जिसमें कहा गया है कि अन्य जलवायु प्रभाव लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं। लू या हीट वेव, तूफान और बाढ़ जैसी लगातार बढ़ती मौसम की घटनाएं, हजारों लोगों की जान ले लेती हैं और लाखों लोगों के जीवन को तबाह कर देती हैं। इस तरह की चरम घटनाएं जब स्वास्थ्य प्रणालियों और सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो इन्हें भी खतरे में डाल देती हैं। मौसम और जलवायु में परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा को खतरा हो रहा है और भोजन, पानी और मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि जलवायु प्रभाव के चलते मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से जानें जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे बड़ा स्वास्थ्य संबंधी खतरा है। कोई भी जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों से सुरक्षित नहीं है, उन्हें सबसे कमजोर और वंचितों द्वारा असमान रूप से महसूस किया जाता है। वायु प्रदूषण, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने का परिणाम है, जो जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ा रहा है, दुनिया भर में प्रति मिनट 13 मौतों का कारण बनता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य निदेशक डॉ मारिया

नीरा ने कहा कि इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया कि जलवायु संकट सबसे जरूरी स्वास्थ्य आपात स्थितियों में से एक है जिसका हम सभी सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, वायु प्रदूषण को डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के स्तर तक लाने से, वायु प्रदूषण से होने वाली वैश्विक मौतों की कुल संख्या में 80 फीसदी तक की कमी लाई जा सकती है। जबकि जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नाटकीय रूप से कमी आएगी। डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों के अनुरूप अधिक पौष्टिक, पौधों पर आधारित आहार में बदलाव, वैश्विक उत्सर्जन को काफी कम कर सकता है, अधिक लचीली खाद्य प्रणाली सुनिश्चित कर सकती है और 2050 तक हर वर्ष 51 लाख भोजन की कमी से होने वाली मौतों से बचा जा सकता है। डब्ल्यूएचओ की कोप 26 जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर विशेष रिपोर्ट, द हेल्थ आर्गुमेंट फॉर क्लाइमेट एक्शन, सरकारों को विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और जलवायु संकट के सबसे खराब स्वास्थ्य प्रभावों से बचने के लिए 10 सिफारिशों की हैं। कोप 26 रिपोर्ट में दस सिफारिशें शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था और सतत विकास एजेंड में स्वास्थ्य और इकित्ती को प्राथमिकता देने हेतु सरकारों के लिए तत्काल आवश्यकता और कई अवसरों को उजागर करती हैं।

स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतिबद्ध होना। कोविड-19 से उबरने, पर्यावरण को बनाए रखने लिए प्रतिबद्ध होना। स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का समझौता मान्य नहीं होगा। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के केंद्र में रखना। जलवायु संबंधी कार्रवाई से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाना। सबसे बड़े स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक लाभ के साथ उन जलवायु हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देना। जलवायु से संबंधित खतरों का स्वास्थ्य पर असर न पड़े ऐसी रणनीतियां बनाना। जलवायु अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों और सुविधाओं का निर्माण करना और सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य को महत्व देना। ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करना जो जलवायु और स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करें। विशेष रूप से कोयले के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण से लोगों की जान बचाने के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर न्यायोचित और समावेशी मार्गदर्शन करना। घरों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में ऊर्जा की कमी को दूर करना। शहरी वातावरण में परिवहन संबंधी सुविधाओं पर बेहतर करना। बेहतर भूमि का उपयोग, सार्वजनिक स्थान तक पहुंच और चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन के लिए प्राथमिकता के साथ टिकाऊ, स्वस्थ शहरी डिजाइन और परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना।

बंद होंगे सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाले कारखाने

इन्दौर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार में क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर / देवास के अंतर्गत आने वाले जिलों इन्दौर, खरगौन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर देवास तथा शाजापुर की समस्त नगर निगम, नगर पालिकाओं / नगर परिषदों के अधिकारियों, प्लास्टिक उद्योगों, शहरों के प्लास्टिक व्यावसायियों, टॉफी उद्योग, होटल / मैरिज गार्डन के प्रतिनिधियों नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों, शासकीय अधिकारियों, एन.जी.ओ. शिक्षण संस्थान तथा बोर्ड के संबंधित अधिकारियों सहित लगभग 151 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आर. के. गुप्ता द्वारा स्वागत भाषण देते हुये बताया गया कि केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात् प्लास्टिक की वस्तु जिसको डिस्पोज या रिसायकल से पहले एक काम के लिये एक ही बार इस्तेमाल किया जाना है को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 01 जुलाई 2022 से प्रभावशील होंगे। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें 17 प्रकार के उत्पाद जैसे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बडस, बैलून के साथ उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक एवं सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल का सामान, प्लेट्स, कप्स, ग्लास, फोर्क, स्पून, चाकू,



स्ट्रॉ, ट्रे आदि कटलरी आईटम, मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटने वाली फिल्म, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट की पैकिंग में उपयोग होने वाली प्लास्टिक तथा 100 माइक्रॉन से कम मोटाई के बेनर्स एवं स्टिकर शामिल हैं, के निर्माण एवं क्रय-विक्रय तथा उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त वेबीनार का प्रमुख उद्देश्य संबंधित प्लास्टिक उद्योगों के प्रतिनिधियों, नियमों के क्रियान्वयन हेतु दायित्वाधीन नगरीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम संशोधित 2021 की जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि म.प्र. राज्य में पॉलीथीन बैग पर पूर्ण प्रतिबंध गत 24 मई 2017 से लागू है, आगे इसके साथ सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी प्रतिबंध आगामी 01 जुलाई 2022 से लागू हो जायेंगे। उपरोक्तानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का उद्योगों में निर्माण बंद कराने का दायित्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का होगा। इसके क्रय-विक्रय तथा इस्तेमाल पर प्रतिबंध के पालन कराने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों

एवं पंचायतों को दी गई है। उक्त संशोधन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्पादन करने वाली इकाईयों के उपर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की होगी एवं क्रय-विक्रय उपयोग इत्यादि पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के अधिकार नगरीय निकायों एवं पंचायतों को सौंपे गये हैं। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक आईटम जैसे पेपर के कप, पेपर ग्लास, पत्तों से बने दोने, मिट्टी से बने कुल्हड़, सुराही, लकड़ी से बने कटलरी आईटम एवं स्टिक्स इत्यादि का उपयोग किया जावे। इसी प्रकार पूजा पंडल में शादियों में प्लास्टिक से बने सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल के उपयोग को हतोत्साहित करना श्रेयस्कर होगा। बताया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम में एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रिसपांसिबिलिटी का प्रावधान किया गया है। म.प्र. राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू है एवं इसके तहत नगर की सीमा में उत्पन्न होने वाले सूखे एवं गीले घरेलू अपशिष्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन, परिवहन, उपचार एवं

निपटान की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है। समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों से नियमों का पालन करने का आवाहन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नगरीय विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री राजीव निगम द्वारा वेबीनार को संबोधित करते हुए सभी नगरीय निकायों, व्यापारियों, उद्यमियों से अनुरोध किया गया कि वे केन्द्र एवं राज्य शासन के नियमों का पालन उनके क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से करें ताकि किसी को भी किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होंने नगरीय निकायों की ओर से आश्चर्य किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध नगरीय सीमा में सभी सी.एम.ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा। तकनीकी सत्र में प्रथम प्रजेन्टेशन अधीक्षण यंत्र, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल डॉ. एम. एल. पटेल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध एवं इसके विकल्प विषय पर दिया गया। कार्यक्रम में संचालक इको प्रो इवायरमेन्टल सर्विसेज श्री अजय जैन द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध तकनीकों के संबंध में जानकारी दी गई। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री अनूप चतुर्वेदी ने दी। रिसाईक्लिंग कर बनाये जा रहे विभिन्न उत्पादों की जानकारी अध्यक्ष ईंडियन प्लास्टिक फोरम श्री सचिन बंसल एवं शक्ति प्लास्टिक के श्री राहुल पोतदार द्वारा उनके व्याख्यान के माध्यम से प्रतिभागियों को दी गई। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन श्री सुनील व्यास द्वारा किया गया।

जलवायु परिवर्तन से अमेरिकी समाज भयभीत

कैलिफोर्निया। कहने के लिए तो पूरी दुनिया ही जलवायु परिवर्तन के खतरे से डरी सहमी हुई है, लेकिन इसका सबसे अधिक डर अमेरिकी जनमानस पर पड़ा है। यही कारण है कि अमेरिकी प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी 23 एजेंसियों को इस काम में लगाने के लिए अपनी ओर हरी झंडी दे दी है। ये एजेंसियां जलवायु परिवर्तन से खतरे में पड़े अमेरिकी जीवन के प्रमुख रूप से छह पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। दो दर्जन से अधिक संघीय एजेंसियां इन खतरों से बचाव के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगी। और अमेरिकी समाज में जलवायु परिवर्तन को लेकर फैली भयावहता को कम करने की कोशिश करेंगी। कम खाना, बड़ी संख्या में यातायात दुर्घटनाएं, चरम मौसमी घटनाओं का बढ़ना, परमाणु अपशिष्ट स्थलों की असुरक्षा और इन तमाम घटनाओं के कारण दुनियाभर से विस्थापित होने वाले प्रवासियों के अमेरिका की ओर भागने से एक विषम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। इससे अमेरिकियों में भविष्य में और भी बदतर स्थिति में पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है। अब तक अमेरिका में इस प्रकार के परिदृश्य तो यहां की मनहूस कल्पनाओं में ही निहित था और अब हालत ये हो गई है कि यह सभी चीजें अमेरिकी नीति निर्धारण में दिख पड़ रही हैं। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति बाइडन के आदेशों के बाद अमेरिका की हर सरकारी एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों ने अपनी एजेंसियों के सहयोगियों के साथ जलवायु खतरों और उनसे निपटने के तरीके पर विचार करते हुए महीनों विचार-विमर्श में समय लगाया है। गुरुवार यानी 8 अक्टूबर को व्हाइट हाउस ने ऊर्जा, रक्षा, कृषि, सुरक्षा, परिवहन और वाणिज्य विभागों सहित 23 एजेंसियों की जलवायु-अनुकूलन योजनाओं को जारी करते हुए इनके संभावित परिणामों पर पहली नजर डाली। वास्तव में ये योजनाएं अमेरिकी जीवन के हर पहलु के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों और उन खतरों से निपटने की कठिनाई को प्रकट करती हैं। संघीय सरकार ने ओबामा प्रशासन के दौरान पहले भी इस प्रकार के अभ्यास का प्रयास किया था। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय यह काम प्रभावी रूप से बंद हो गया था। और ट्रंप प्रशासन की जलवायु विज्ञान के

प्रति तिरस्कार की भावना के कारण अधिकांश एजेंसियों ने या तो जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी योजना को स्थगित कर दिया या इसके बारे में बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन अपने पद ग्रहण करने के कुछ हफ्तों के भीतर ही राष्ट्रपति बाइडन ने इस संबंध में हार्सिए पर चले गए अधिकारियों को जलवायु परिवर्तन संबंधी काम जल्द शुरू करने का निर्देश जारी किए। जलवायु परिवर्तन के खतरे की तात्कालिकता पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने एजेंसियों को उन योजनाओं के साथ आने के लिए चार महीने का समय दिया, जो जलवायु परिवर्तन के लिए उनकी मुख्य रणनीतियों को सूचीबद्ध किया गया है। तुलेन विवि के प्रोफेसर जेसी कीनन कहते हैं कि लगभग हर सेवा जो सरकार प्रदान करती है, वह जल्द या बाद में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगी। गुरुवार को जारी की गई योजना में मुख्य विषय शामिल हैं, जैसे- यह सुनिश्चित करना कि नई सुविधाएं कठिन निर्माण मानकों को पूरा करती हैं, मौजूदा इमारतों में कम ऊर्जा और पानी का उपयोग करते हुए अत्यधिक गर्मी के खिलाफ श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा, जलवायु विज्ञान के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करना और आपूर्ति श्रृंखला बनाना जो तूफान के जोखिम को कम करेगा। योजना के तहत अल्पसंख्यक और निम्न-आय वाले समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना शामिल है। इससे नस्लीय समानता कम होगी। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने कहा कि वह उन समुदायों पर स्वास्थ्य प्रभावों पर अनुसंधान अनुदान पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। कृषि विभाग उन तरीकों को सूचीबद्ध करेगा, जिनमें जलवायु परिवर्तन से अमेरिका की खाद्य आपूर्ति को खतरा है, तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन, अधिक कीट और रोग, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, कम परागण करने वाले कीड़े और अधिक तूफान और जंगल की आग को कम करने के लिए योजना तैयार करेंगे। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभाग जलवायु खतरों पर अधिक शोध किया जाएगा और किसानों को उनके परिणाम बताकर उनकी स्थिति को और बेहतर किया जा सकेगा।

साहित्य में पर्यावरण- संरक्षण की लोक साहित्य परम्परा

नई दिल्ली। लोक साहित्य जन साहित्य है, गाँव का साहित्य, या, यूँ कहें कि खेती किसानों का साहित्य है। क्योंकि 60- 70 फीसदी जनसंख्या आज भी खेती पर ही निर्भर है। यही कारण है कि यदि शहर का आदमी गेहूँ, चावल खरीदने जाता है तो उसका मात्र 10- 12 शब्दों में ही काम चल जाता है। या तो वह झोला लेगा या बोरा लेगा? साइकिल लेगा या रिक्शा पकड़ेगा? मोल-भाव, वाट, तराजू पैसा-दाम आदि बस इतने शब्दों में उसके घर गेहूँ चावल आ जायगा। किन्तु वहीं अनाज जब किसान खेत में उगाता है तो खेत की तैयारी से लेकर उसके भंडार गृह में संचय के लिए अनाज के आते-आते लगभग दो ढाई सौ शब्द का इस्तेमाल होता है। पर यह शब्द किसी भाषा के नहीं बल्कि बोलियों के होते हैं। नर वानर से उबर कर विकसित रूप में मनुष्य मले ही एक करोड़ वर्ष से इस धरती में हो किन्तु 99 लाख नब्बे हजार वर्ष वह बिना खेती के ही रहा। खेती का इतिहास मात्र 10 हजार वर्ष पुराना ही है। और व्यवस्थित खेती तो ईसा पूर्व 800 वर्ष के आस-पास ही शुरू हुई जब लौह अयस्क की खोज हो गई। तभी से वह मैदान में कुआ खोदकर वहाँ बसने लगा। क्योंकि लोहा के खोज के पहले प्रागैतिहासिक काल की जितनी भी बस्तियाँ थीं वह सभी किसी नदी के किनारे ही बसी थीं और उसी का पानी पीती थीं।

किन्तु उसके खेती के विस्तार के साथ-साथ लौह अयस्क आ जाने से अन्य कुटीर उद्योग भी विकसित हुए, जिससे गाँव में वस्तु विनिमय का एक कृषि आश्रित समाज ही बना और उसी अनुभव जनित ज्ञान का मौखिक परम्परा में जो साहित्य रचा गया या जो मौखिक परम्पराएँ विकसित हुईं, लोक परम्पराएँ और लोक साहित्य कहलाये, पर रसायन युक्त आधुनिक पर्यावरण विध्वंसक खेती के पहले जितनी भी खेती थी वह सब लोक विज्ञान या लोक परम्परा से निकली पर्यावरण संरक्षण की ही खेती थी जिसमें कदम कदम पर पर्यावरण का संरक्षण था। क्योंकि वह वर्तमान सेठ की खेती के बजाय समूचे गाँव के पेट की खेती होती थी। उसमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन नहीं संरक्षण होता था। यह जरूर है कि लिपि के अभाव में उनके अनुभव य अनुसन्धान का प्रलेखी कारण नहीं हो सकता था। पर अगली पीढ़ी तक उनका खोजा हुआ ज्ञान उपयोगी रहे अस्तु हमारे कृषक पूर्वज उसे कहावतों में सूत्र बद्ध कर देते थे। जो आज भी यदा-कदा लोकोक्तियों कहावतों में लोक कंठ से मुखर होते रहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण समीचीन होंगे। खेती किसानों में सबसे जरूरी था जल संरक्षण। इसीलिए कहा जाता था कि - पानी नहीं तो, किसानों नहीं। इसी से वर्षा आधारित खेती में जल संरक्षण का बहुत बड़ा महत्व था। तालाब बनवाना पुण्य का कार्य माना जाता। तालाब कोई बनवाये पर उद्देश्य हमेशा सार्वजनिक ही था। उससे समूचे गाँव का जल स्तर बढ़ता था। यही कारण था कि अनेक बघेली बोली के लोकगीतों में ससुराल आई नई बहू अपने श्वशुर य जेठ से घर के समीप तालाब बनवाने की इच्छा व्यक्त करती है। उधर खेती में देखा जाय तो यदि आषाढ़ से फ़ार माह के बीच बतर आने पर खेत की एक-दो बार जुताई हो जाये तो तीन माह की वर्षा का सारा जल खेत सोख लेता था। उससे जहाँ गाँव का जल स्तर बढ़ता था वही गेहूँ चना आदि रबी की फसल के लिए



उस खेत में पर्याप्त नमी भी संचित हो जाती थी। लेकिन लोक साहित्य के कहावत में आकर वह पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी बनता? अब इस कहावत में एक अन्तर कथा है। एक गाँव के किसी भूभाग में सभी किसानों की एक जैसी भूमि थी। पर एक किसान के खेत का गेहूँ अन्य किसानों के खेत के अपेक्षा बहुत अच्छा था। जब किसान खेत घूमने गए और उस खेत को देखा तो उससे पूछने लगे कि +क्यों भाई? जमीन तो सभी किसानों की एक जैसी है, पर तेरे खेत में इतना अच्छा गेहूँ क्यों हुआ है?+ उसने बताया कि मैंने आषाढ़ में मानसूनी बारिश के बाद अपने खेत की दो बार अड़ी और खड़ी जुताई कर दी थी। अस्तु सारी नमी खेत में संचित होती गई इसलिए मेरा गेहूँ तुम सभी से अच्छा है। पर तुम सब ने मेरी तरह नहीं किया था। अर्थात्, सावन में बतर में आने पर यदि जुताई कर दोगे तो तुम्हारे खेत में गेहूँ की उपज अच्छी होगी। किन्तु हमारे बघेली लोक साहित्य में एक आलसी किसान पर भी एक कहावत कही गई है। कहते हैं कि तीन माह तक रहने वाली वर्षा ऋतु की अवधि में बीच-बीच में जब कई बार चार-पाँच दिन का सूखे का मौसम आया तो उसका लाभ उठ्य बांकी कृषक तो अपने खेत की जुताई करते रहे जिससे उनके खेत में नमी संचित होती रही। पर एक आलसी किसान ऐसा

भी था जो सारी वर्षा ऋतु तक तो हाथ में हाथ रखे बैठा रहा परन्तु जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई तो खेत की 2-3 बार जुताई कर रहा था। लेकिन जब पड़ोस के किसानों ने देखा तो परिहास उड़ते हुए कहने लगे कि-
बाहे नहीं तय एक आषाढ़। अब का बहते बारम्बार।।
अर्थात्, 'तुमने आषाढ़ में जब समय था तब खेत में एक बार भी हल नहीं चलाया था जिससे वर्षा का पानी सोख कर खेत नमी संचित कर लेता? पर अब तुम्हारा खेत जब सूखा हो गया है तो कई बार जुताई कर रहे हो? अब इस जुताई से भला क्या लाभ रह गया है?' अब तो हरित क्रान्ति आने के पश्चात खेती की पद्धति ही बदल गई है। प्राचीन समय में अदल-बदल या मिलमा खेती ऐसी खेती थी जिसमें पूरी तरह खेत की उर्वरता का टिकाऊ पना एवं पर्यावरण संरक्षण था। प्रथम वर्ष यदि खेत में चना बोया जाता तो दूसरे वर्ष कोदो य फिर ज्वार की मिलमा खेती। इस खेती से खेत की उर्वरता हमेशा बनी रहती। चने की जड़ों में उतपन्न बैक्टीरिया अगर खेत में नत्रजन पैदा कर देते तो कोदो के डंठल सड़ कर दूसरे वर्ष के लिए उसे उपजाऊ बना देते। इसी तरह ज्वार की मिलमा खेती ऐसी पर्यावरण संरक्षक खेती थी जिसमें ज्वार के खेत में ही कई तरह के अनाजों की पैदावार हो

जाती थी। उसमें मिलमा बोने से जहाँ तिल से तेल, अम्बारी से रस्सी गेरमा, उड़द मूग से बारा मुगीरा और अरहर से दाल की आपूर्ति होती वही गर्म ताशीर की ज्वार को लोग जाड़े के दिनों में नवम्बर से फरवरी तक रोटी या दलिया के रूप में खाते जिससे शीत जनित बीमारी से भी बचाव होता। पर खेत की उर्वरता में कोई भी अन्तर न आता। क्योंकि लोक साहित्य के कहावत रूपी हिदायत के अनुसार ही एक खास गैप में ज्वार की खेती की जाती थी। ताकि उसके नीचे के गैप में दो फीट के झाड़ी नुमा उड़द-मूग भी हो जाय और ऊपर के गैप में चार फीट की तिल व पाँच फीट की अम्बारी भी। किन्तु मार्च में पकने वाली दुबली पतली अरहर तब अपना विस्तार करे जब नवम्बर में ज्वार, तिल, मूग, उड़द वगैरह कट जाए। पर कहावत थी कि -
**कदम-कदम पर बाजरा, दादुर कुदनी ज्वार।
जे जन ऐसा बोड़हैं, उनके भरें कोठार।।**
दादुर कुदनी ज्वार का आशय यहाँ लगभग डेढ़ दो फीट के दूरी पर ज्वार को बोने से है जितनी लम्बी मेढ़क की छलांग होती है। तभी तो उस ज्वार के ऊपर और नीचे के फसले पर सभी अनाज उग कर किसान के कुठले को भरेंगे? क्योंकि ज्वार का पौधा 7 फीट ऊँचा होता है। पर उसी की

तरह लम्बी तिल और अम्बारी भी लम्बवत बढ़ती हैं। इस तरह हमारे बघेली साहित्य और परम्परा में पर्यावरण संरक्षण की अनेक मौखिक परम्परा एवं मुहावरें लोकोक्तियाँ कहावतें हैं। जो समय- समय पर अगली पीढ़ी को निर्देशित करती रहती थीं। अगर कैथा फल को दशहरा तक न खाने, आंवला को कार्तिक की इच्छा नवमी तक उपयोग न करने की बन्दिश थी या अचार चिरोजी को अश्वय तृतीया तक नहीं तोड़ जाया था तो उसके पीछे यह तर्क था कि वह समय के पहले समूल नष्ट न हो जाये, बल्कि उनका वंश परिवर्धन भी हो? क्योंकि कैथा दशहरा के आस-पास पकता है और चिरोजी का फल बैसाख के शुक्ल पक्ष में ही। इसी तरह आंवला में भी औषधीय गुण कार्तिक के बाद ही आते हैं। आज आयुर्वेद की बहुत सारी कम्पनियाँ हैं जिनके द्वारा थोक में जमीन से जड़ी बूटियों को उपार्जित किया जाता है। किन्तु हमारे बघेली क्षेत्र के ग्रामीण परम्परा में उपार्जन के एक दिन पहले हल्दी चावल लेकर विदोहन करने वाला जाता और उस औषधि के पास हल्दी चावल रख कर बिनती करता कि + हे अमुक औषधि! हम तुम्हें चिकित्सा के लिए कल भोर में ले जाएंगे? तुम हमारे लिए फल दाई बनना+ इस तरह इन सब परम्पराओं से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह उपार्जन कर्ता उस औषधि को किस मात्रा में बिदोहित करता रहा होगा? यहाँ तक कि यदि कोई लकड़ी काटने या फल तोड़ने के लिए भी पेड़ में चढ़ता तो उसके पहले पेड़ के चरण छूने का उपक्रम करके ही चढ़ता था।
इसी तरह कुछ औषधियों को तो अर्धरात्रि में नग्न होकर उसके जड़ को बिदोहित किया जाता था। इसलिए हमारी बघेली परम्परा में कदम - कदम पर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हीन विदोहन था जो पर्यावरण संरक्षण का ही पर्याय था।

52 फीसदी पक्षियों ने निगला प्लास्टिक, शरीर में पाया गया प्लास्टिक से संबंधित केमिकल- अध्ययन

न्यूयार्क। अध्ययन में चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 2050 तक, 99 प्रतिशत समुद्री पक्षी प्रजातियां प्लास्टिक को निगल चुकी होंगी। शोधकर्ताओं ने इस बात का पता लगाया है कि समुद्री पक्षी किस कदर प्लास्टिक का शिकार हो रहे हैं। सात देशों के 18 संस्थानों की एक अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने दुनिया भर के 32 समुद्री पक्षियों की प्रजातियों के नमूने जमा कर उनका विश्लेषण किया। शोध टीम ने पाया कि 52 प्रतिशत पक्षियों ने न केवल प्लास्टिक निगला था, बल्कि उनके शरीर में प्लास्टिक के केमिकल भी पाए गए। अध्ययन में चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक, 99 प्रतिशत समुद्री पक्षी प्रजातियां प्लास्टिक को निगल चुकी होंगी। टोक्यो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में कार्बनिक भू-रसायन विज्ञान (एलओजी) में प्रोफेसर और अध्ययनकर्ता हिदेशिगे ताकाडा ने कहा दुनिया भर में हर साल लगभग 40 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है और इनमें से एक हिस्सा वातावरण में बचा रह जाता है। अंत में यह बहते हुए महासागरों तक पहुंच जाता है। समुद्र की सतह पर तैरते समय या समुद्र तटों पर फंसे होने पर, प्लास्टिक सूर्य से यूवी विकिरण के संपर्क में आते हैं और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अत्यधिक महान टुकड़ों को हम माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जानते



हैं। ये टुकड़े, साथ ही प्लास्टिक फीडस्टॉक के रूप में जलमार्ग में भी अपना रास्ता बनाते हैं। ये नष्ट होने वाले या बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और न ही वे डूबते हैं। वे आकार में समुद्री पक्षियों के छोटी मछलियों और कीड़ों के प्राकृतिक शिकार जैसे होते हैं और वे तैरने या धाराओं के साथ बहते रहते हैं क्योंकि वे बहुत हल्के होते हैं। ताकाडा ने कहा नतीजतन दुनिया के महासागरों में भारी मात्रा में प्लास्टिक उपलब्ध है। 2020 तक, दुनिया भर में समुद्री पक्षियों की कुल प्रजातियों में से आधे, समुद्री पक्षियों की 180 प्रजातियों

के बारे में पता चलता है कि उन्होंने प्लास्टिक को निगल लिया था। जबकि प्लास्टिक को निगलने से शारीरिक को नुकसान पहुंच सकता है और यह समुद्री पक्षी की मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण हो सकता है। ताकाडा के मुताबिक, खाद्य पैकिंग, मछली पकड़ने के गियर और अन्य में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक में पाए जाने वाले रसायनों के उपभोग के परिणामों के बारे में बहुत कम जानकारी है। ताकाडा ने कहा कि यह माना जाता था कि जैविक ऊतकों में एडिटिव या योजक आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि वे प्लास्टिक

उत्पादन के दौरान पॉलिमर मैट्रिक्स में मिला दिए जाते हैं। हालांकि, यह प्रदर्शित किया गया है कि पाचन तरल पदार्थों में तैलीय घटक एडिटिव के घोल की सुविधा के लिए कार्बनिक सॉल्वेंट्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। ताकाडा ने कहा कि इसका नतीजा यह होता है कि यह समुद्री पक्षी के ऊतकों में प्लास्टिक के एडिटिव या योजक के रूप में जमा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन में, हमने वैश्विक आधार पर समुद्री पक्षियों के लिए केमिकल एडिटिव या योजकों के प्लास्टिक के फैलने के खतरे को समझने का लक्ष्य

रखा है। शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 16 अलग-अलग स्थानों में 145 समुद्री पक्षियों से पूंछ के ठीक ऊपर स्थित प्रीन ग्रंथि के तेल का विश्लेषण किया। इस तेल में रासायनिक सांद्रता की जांच करके, शोधकर्ता पक्षी के आंतरिक वसा भंडार के दूषित बोझ को निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने ग्रंथि को पोंछकर तेल प्राप्त किया, जो पक्षी को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है। उन्होंने समुद्र तटों पर पाए गए 54 पक्षी शवों की प्रीन ग्रंथि के तेल और पेट की सामग्री की भी जांच की। यह अध्ययन एनवायर्नमेंटल मॉनिटरिंग एंड कॉन्ट्रिब्यूटर्स रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पक्षियों में से 16 में एक एडिटिव जमा हुआ है और 67 पक्षियों में अन्य एडिटिव्स पाए गए थे। ताकाडा ने कहा समुद्री पक्षियों में एडिटिव्स की उच्च सांद्रता का पता चला, जिसमें बड़े, निगला गया प्लास्टिक भी पाया गया। यह देखते हुए कि पक्षियों को अपने प्राकृतिक शिकार द्वारा शुरू में प्राप्त एडिटिव्स भी प्राप्त हो सकते हैं, इन घटना पैटर्न से पता चलता है कि एडिटिव्स मुख्य रूप से सीधे निगले गए प्लास्टिक से प्राप्त होते हैं। एडिटिव्स से पता चला है कि दुनिया के समुद्री पक्षी के महत्वपूर्ण हिस्से 10 से 30 फीसदी सीधे प्लास्टिक से केमिकल को जमा करने के आसार हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है।

साभार - (डाउन टू अर्थ)

इलेक्ट्रॉनिक कचरे से प्राप्त हो जाएंगी कीमती धातुएं

मुंबई। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई प्रक्रिया विकसित की है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कुछ संकड़ों के भीतर ही बहुमूल्य धातुएं प्राप्त हो जाएंगी। यह तकनीक न केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहतर है साथ ही यह वर्तमान में इस काम के लिए प्रयोग की जा रही विधि की तुलना में 500 गुना कम ऊर्जा की खपत करती है।

राइस यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित यह प्रक्रिया पिछले साल खोजी गई फ्लैश जूल हीटिंग पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति का फायदा यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने के बाद जो उपोत्पाद बचता है वो पूरी तरह सुरक्षित होता है, जिसे लैंडफिल में डाला जा सकता है। इससे जुड़ा शोध जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित हुआ है। राइस लैब में केमिस्ट जेम्स टूर ने दिखाया कि इस तरीके से वेस्ट को रसायनिकल करते समय उसमें से क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी और लेड जैसी अत्यधिक जहरीली धातुओं को दूर किया जा सकता है, जिससे जो उपोत्पाद बचता है उसमें धातुएं नहीं होती हैं। इस पद्धति में बिजली की मदद से कचरे को 3,400 केल्विन (5,660 डिग्री फारेनहाइट) तक गर्म किया जाता है जिससे कीमती धातुएं वाष्पीकृत हो जाती हैं, जबकि गैसों को अलग एकत्र करने या निपटान के लिए निकाल दिया जाता है। इस बारे में इस शोध से जुड़े अन्य शोधकर्ता बिंग डेग ने बताया कि एक बार जब यह धातुएं वाष्पीकृत होकर अलग हो जाती हैं तो इस वाष्प को एक फ्लैश चेंबर से वैक्यूम के तहत दूसरे बर्तन में एकत्र कर लिया जाता है, जोकि ठंडा होता है, जहां वे घटक अपनी धातुओं में संघनित होने लगते हैं। बाद में इन धातुओं को उनकी रिफाइनिंग विधियों की मदद से शुद्ध कर लिया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार एक फ्लैश जूल प्रतिक्रिया से इसमें मौजूद लीड की सांद्रता को 0.05 भाग प्रति मिलियन से कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि इतनी मात्रा है जिसे यदि मिट्टी में दबा दिया जाए तो भी यह कृषि के दृष्टिकोण से हानिकारक नहीं रहती है। इसी तरह फ्लैश जूल प्रतिक्रिया में वृद्धि करके आर्सेनिक, पारा और क्रोमियम के स्तर को भी कम किया जा सकता है।

